ज्नश्ववसवयखक्त्रन्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी–राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 108/2022

प्रार्थी– हरनाथराम पुत्र श्री फुलाराम, जाति विश्नोई, निवासी डाबडी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. बाबुराम पुत्र श्री भागचन्द
2. मुल्तानाराम पुत्र श्री सुरजनराम
3. खेराजराम पुत्र श्री जगमालराम
4. नाथाराम पुत्र श्री बस्ताराम
   जाति विश्नोई, निवासी ग्राम डाबडी
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
5. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

<u>प्रार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से–श्री घेवरराम विश्नोई एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा।
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से –सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–21/6/2022

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आषय का प्रस्तुत किया कि:– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 404/26 रकबा 0.0161 हैक्टेयर मौजा ग्राम डाबडी में आई हुई है। यह भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 26 के रूप में दर्ज थी इस भूमि में से एक डामर सडक कटने से नया बट्टा नम्बर दर्ज हुआ है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि व मूल खसरा नम्बर तथा सडक की तरमीम सेग्रीगेशन के तहत मौके के कब्जे के विपरीत कर दी तब प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार ओसियां के समक्ष तरमीम दुरस्ती बाबत् प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ओसियां द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एक प्रार्थना पत्र तरमीम दुरस्ती हेतु माननीय सहायक कलेक्टर ओसियां के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति बाबत रिपोर्ट [illegible] गई हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर पूर्ण रूप से सीमांकन

सहायक कलेक्टर, ओसियां

कार्य किया जाकर खसरा नम्बर 26 के बाबत मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई सीमांकन अनुसार मौके पर कच्चे मुठाम कायम किये गये जिसकी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उसी रिपोर्ट अनुसार न्यायालय द्वारा तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 को स्वीकार किया जाकर पूर्व में की गई गलत तरमीम को निरस्त की जाकर प्रस्तावित तरमीम जो नजरी नक्शे में दर्शाई गई है उसी अनुसार नये सिरे से तरमीम किये जाने का आदेश दिनांक 27.09.2021 को पारित किया गया। उक्त आदेश आज दिन भी पूर्ण प्रभाव में है तथा उपरोक्त आदेशानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर प्रार्थी की भूमि के नये खसरा नम्बर 404/26 के रूप में दर्ज किया गया जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की भूमि आई हुई है तथा मौके पर भौतिक विभाजन अनुसार प्रार्थी की भूमि के चिपते अप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है पूर्व में जब मौके पर हल्का पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर जो कच्चे निशान कायम किये गये उसी अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के पत्थर रोपना शुरू किया तब अप्रार्थीगण ने बेवजह मौके पर आकर प्रार्थी को सीमांकन अनुसार पत्थर रोपने से मना कर दिया तथा मौके पर सीमा विवाद खड़ा कर दिया तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमांकन अनुसार पत्थर नहीं रोपने देते है जबकि मौके पर प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर लगातार प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा निर्माण सामग्री भी मौके पर डाली हुई है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करने हेतु उतारू है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 404/26 रकबा 0.0161 हैक्टेयर मौजा ग्राम डाबड़ी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के बाबत् टीम गठित की जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने बाबत् पुलिस व्यवस्था दिलवाई जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता दिनेश मदेरणा ने वकालात नामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि का सही सीमांकन किया हुआ नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की सुनी गई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की सीमाओं को खुर्दबुर्द कर रहे है इसलिए नक्शा ट्रेस अनुसार पत्थरगढी कार्यवाही करवाई जावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव प्रार्थी व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कि प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 404/26 रकबा 0.0161 हैक्टेयर मौजा ग्राम डाबड़ी बाबत तहसीलदार ओसियां टीम गठित की जाकर पूर्ण रूप से सीमाकंन कार्य किया जाकर पत्थर गढ्ढी की जावें। पत्थरगढ्ढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया

आज दिनांक 21.6.2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया